

आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय पदोन्नति परीक्षा, 2026

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली।

क्रमांक: 5140/79

दिनांक : 25 अगस्त, 2026

—: सूचना :—

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 289/स्था. दिनांक 24.08.2026 की अनुपालना में Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 (यथा अधतन संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत कोटपूतली-बहरोड न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय में से आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की आशुलिपि प्रतिलेखन एवं गति परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस सूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 27.08.2026 को दोपहर 2:00 बजे तक स्थापना शाखा कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। आवेदन-पत्र संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित करवाकर प्रेषित किये जायें।

प्रत्येक अभ्यर्थी आवेदन-पत्र पर अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चस्पा करेगा, जो किसी राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित (Attested) होना आवश्यक होगा। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(1)– पात्रता :—

1— आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये आवेदक को कोटपूतली-बहरोड न्यायक्षेत्र में किसी अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर कार्यरत होना चाहिए। ऐसा अभ्यर्थी (आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय) परिवीक्षाधीन नहीं होना चाहिये, न ही तदर्थ आधार पर नियुक्त होना चाहिये।

2— Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 के नियम 14 ए के अनुसार :—

"Disqualification for promotion :- A Government Servant shall be disqualified for promotion for three recruitment years from the date his promotion becomes due after commencement of these rules, if he has more than two children-

Provided that if a Government servant had single child on the date of commencement of these rules but more than one child are born in a single subsequent delivery, the children so born shall be treated as one while counting the total number of children-

Provided further that for purpose of this rule birth of a child within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

Provided also that while counting the total number number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में, 50/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ-पत्र (नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ हो) आवेदन के साथ प्रेषित करना होगा।

(2)- परीक्षा :-

Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 (यथा अधतन संशोधित) के नियम 14 सपठित नियम 10 के अनुसार आयोजित की जाएगी।

Rule – 10 (1) (b)

"(ii) in case of Stenographer Grade-II either at 75 words per minute in Hindi Shorthand and 8000 key depressions per hour in Hindi Typing on computer" English Shorthand at 85 words per minute in English Shorthand and 8000 key depressions per hour in English Typing on computer.

इस प्रकार दिए गए हिन्दी एवं अंग्रेजी श्रुतिलेख/डिक्टेशन को कम्प्यूटर पर अनुवाद करना होगा एवं कम्प्यूटर पर पृथक से गति परीक्षा भी ली जाएगी, जिसका पूर्ण विवरण तथा अभ्यर्थियों की सूची व रोल नम्बर इत्यादि बाबत भी सूचना पृथक से जारी की जाएगी।

उक्त परीक्षा दिनांक 30.08.2026 (रविवार) को प्रातः 11 बजे पालिका प्लाजा भवन कोटपूतली के तृतीय तल पर मार्क-1 अन्य न्यायालय के संचालन के लिए रिक्त आरक्षित भवन में होगी।

अभ्यर्थियों की सूची मय रोल नम्बर इत्यादि की सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली के सूचना पट्ट पर दिनांक 29.08.2026 को लगा दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें। पृथक से किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

(3)- अन्य :-

अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिये इस कार्यालय द्वारा यात्रा भत्ता या अन्य किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाएगी।

अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त करने अथवा परीक्षा कार्यक्रम संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली (राज.) का रहेगा।

यह सूचना न्यायालय की वेबसाइट <https://kotputlibehror.dcourts.gov.in> व माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (राज.) के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

 25.08.26

अध्यक्ष

आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय पदोन्नति परीक्षा, 2026
(अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01)
कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़

क्रमांक : 80 to 85

दिनांक : 25.08.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली ।
02. सूचना पट्ट, जिला एवं सेशन न्यायालय कोटपूतली।
03. समस्त न्यायालय कोटपूतली-बहरोड़ न्याय क्षेत्र।
04. समस्त आशुलिपिक ग्रेड-III
05. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सुश्री कृतिका सिंघल आशुलिपिक ग्रेड-III को सूचनार्थ।
06. कार्यालय प्रति।

 25.08.26

अध्यक्ष

आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय पदोन्नति परीक्षा, 2026
(अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01)
कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली (राजस्थान)
आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर चयन हेतु आवेदन-पत्र
(आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय विभागीय गति परीक्षा-2026)



1	नाम :
2	पिता का नाम :
3	जन्म तारीख :
4	शैक्षणिक योग्यता :
5	वर्तमान पदस्थापित न्यायालय का नाम :
6	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि अंकों एवं शब्दों में : (अंकों में) तिथि अंकों एवं शब्दों में : (शब्दों में)
7	वर्तमान पद : स्थाई ☐ अस्थायी ☐

8	संतानों की संख्या तथा उनकी जन्म तिथि	क्र. सं.	संतान का नाम	जन्म दिनांक अंको में
		1		
		2		
		3		

दिनांक

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

क्रमांक :-

दिनांक :-

इस कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर कार्यरत उक्त कर्मचारी का आवेदन-पत्र आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय पदोन्नति हेतु श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय पदोन्नति परीक्षा, 2026 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर व मोहर

प्रारूप

—: शपथ पत्र :-

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि दिनांक
01.06.2002 के पश्चात् मेरी तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित
हूँ।

“हस्ताक्षर शपथकर्ता”

सत्यापन :- मैं, पुत्र/पुत्री
निवासी आज बमुकाम में शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त
शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, इसका कोई भाग
गलत नहीं है, न ही कुछ भी छुपाया गया है।

दिनांक :

स्थान :

“हस्ताक्षर”